



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेस कालोनी, भोपाल-462016

☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax: 0755 - 2463742 website: www.mppcb.nic.in

पुराने वाहनों के विक्रय संबंधी निविदा सूचना

निम्न पुराने वाहन जहाँ हैं जैसा है और जिस हालत में है के आधार पर विक्रय के लिये सीलबंद निविदाएँ निर्धारित निविदा प्रारूप में सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र.	वाहन पंजीयन क्रमांक	मेक	मॉडल	घरोहर राशि रुपये
1.	एम.पी. 09-एस-4874	मारुति जिप्सी	1997	5,000/-
2.	एम.पी. 20-एच-7060	मारुति जिप्सी	1997	5,000/-

उपरोक्त वाहन म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेस कालोनी, भोपाल में किसी भी कार्यालयीन दिवस में सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक देखे जा सकते हैं ।

1. निविदा फार्म विज्ञप्ति प्रसारित होने की दिनांक से रुपये 100/- मात्र नगद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को देय हो जमा कर कार्यालयीन दिवस में 23/01/2014 तक अपरान्ह 1.00 बजे तक लेखा शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदा फार्म की मूल्य राशि किसी भी रूप में वापिस नहीं की जावेगी ।
2. निविदा की विस्तृत शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न हैं एवं बोर्ड की बेवसाइट www.mppcb.nic.in पर भी देख सकते हैं ।

सदस्य सचिव



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 website: www.mppcb.mic.in

निविदा की शर्तें :

1. इस कार्यालय में दिनांक 24/01/2014 को अपराह्न 2.00 बजे तक शीलबंद लिफाफे में निविदाएँ स्वीकार की जाएँगी एवं उसी दिन सायं 3.00 बजे निविदाकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष निविदाएँ खोली जाएँगी ।
2. प्रत्येक निविदा (प्रत्येक वाहन हेतु) के साथ प्रतिभूति राशि रू. 5,000/- बैंक ड्राफ्ट या पे-आर्डर के रूप में सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के नाम प्रस्तुत करना होगी ।
3. निविदा लिफाफे के ऊपर वाहन का पंजीयन क्रमांक एवं उसका भेक स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये ।
4. प्रतिभूति राशि अलग से बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी । नियमानुसार प्रतिभूति राशि प्राप्त होने के उपरांत ही निविदा फार्म (लिफाफा) खोला जावेगा एवं बिना प्रतिभूति राशि के साथ प्राप्त निविदा लिफाफा नहीं खोला जावेगा एवं किसी भी तरह का विचार नहीं किया जावेगा ।
5. एक निविदा फार्म में एक ही गाड़ी के लिए निविदा स्वीकार की जावेगी ।
6. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा पूर्णतः अमान्य करने का पूर्ण अधिकार सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को होगा एवं उपरोक्त संबंध में उनका निर्णय अंतिम माना जावेगा ।
7. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् वाहन की पूर्ण राशि जमा करते समय प्रतिभूति/धरोहर राशि का समायोजन किया जावेगा । ऑफर स्वीकार होने की पूर्ण रकम का भुगतान आदेश पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अंदर करना होगा अन्यथा प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी ।
8. वरीयता क्रम में क्रमांक 1 एवं 2 निविदाकर्ता की धरोहर राशि को छोड़कर अन्य की धरोहर राशि उसी दिवस वापिस कर दी जावेगी ।
9. किसी भी तरह की सशर्त निविदा स्वीकार/ग्राह्य/मान्य नहीं की जावेगी ।

सदस्य सचिव